



Website-<http://pwd.uk.gov.in>

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
'प्रकीर्ण वर्ग', देहरादून।



Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक- 46 / 01 सेवा का अधिकार / 20

दिनांक- 11 / 01 / 2021

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता (आई0टी0),
विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0,
देहरादून,

विषय:- सेवा का अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित सेवाओं को ऑनलाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक अनु सचिव लो0नि0वि0 अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन, के पत्र संख्या-2569 / 111(1)/20-09(01)/सामान्य/2016 दिनांक-31.12.2020 द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड की 13 सेवाओं को ऑनलाईन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः उक्त पत्र की प्रति इस आशय के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि शासकीय पत्र में दिये गये निर्देशानुसार वर्णित सेवाओं को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न-पत्रानुसार।

(इं0 गोकर्ण सिंह पांगती)
मुख्य अभियन्ता स्तर-11(नि0)

प्रतिलिपि-अनु सचिव लोक निर्माण अनुभाग-1 उत्तराखण्ड शासन को उनके पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-कार्मिक एवं सतकर्ता अनुभाग-6, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

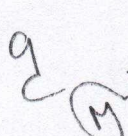
मुख्य अभियन्ता स्तर-11(नि0)

Handwritten signature and date: 14/1/21

**उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित र
में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित सूचना ।**

281

क्र.सं.	सेवा का विवरण	शासनादेशों/नियम
1	2	3
1.	ठेकेदारों के पंजीकरण- श्रेणी 'A'	उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के पत्र संख्या-2365/एम0-5/23 एम0एन0-7-41 एम0एस0ए0/1954 दिनांक-24.09.1982 सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र संख्या-2504/लो0नि0-1/03-75(सा0) 2000 दिनांक-25.11.2003, शासनादेश संख्या-2611/111(2)/07-75 (सामान्य)/2000, दिनांक-26.10.2007 एवं शासनादेश संख्या-1197/111(2)/07-75(सामान्य)/2000 दिनांक-24.02.2014, की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
2.	ठेकेदारों के पंजीकरण -श्रेणी 'B'	---तदैव---
3.	ठेकेदारों के पंजीकरण -श्रेणी 'C'	---तदैव---
4.	ठेकेदारों के पंजीकरण -श्रेणी 'D'	---तदैव---
5.	रोड़ साइड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत N.O.C प्रदान करना।	उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-112/XXXVI(3)/2014/18(1)/2014 देहरादून, 12 मार्च 2014 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
6.	विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं/ व्यक्तियों को सड़क खोदने की अनुमति देना (वाटर पाईप लाईन/सीवर लाईन इत्यादि हेतु)	इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-1099/10प्रकीर्ण-उत्तराखण्ड / 2016 दिनांक-22.09.2016 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
7.	नव निर्मित मोटर मार्गों का परिवहन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण करना।	---
8.	मोटर मार्ग पर गद्दों एवं पौट होल्स को स्थानीय निर्माण सामग्री (यथा मिट्टी एवं पत्थर) से समतल करना।	इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या-573/01याता0 -क0 /2015 दिनांक-20 मई, 2015 एवं अपर सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-2 उत्तराखण्ड शासन, के पत्र संख्या-1923/111(2)15-47 (सामान्य) दिनांक-20.03.2015 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
9.	मोटर मार्ग पर ट्रेफिक को बाधित करने वाली निर्माण सामग्री को हटवाना।	उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या-112/XXXVI(3)/2014/18(1)/2014 देहरादून, 12 मार्च 2014 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
10.	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में धरोहर राशि का प्रतिदाय (वापसी)	उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे0अ0-सा0नि0) अनुभाग-7 के आदेश संख्या-129/ XXVII(7)32/2007 दिनांक-14.07.2017 एवं शासनादेश संख्या-120/111(2)-2014/20 (सामान्य)/2011 दिनांक-08.01.2014 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
11.	आपूर्ति निविदाओं के मामलों में प्रतिभूति निक्षेप (एस0डी0) राशि का प्रतिदाय	---तदैव---
12.	ठेकेदारों के अनुभव प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना	शासनादेश संख्या-2153/111(2)/19-75(सामान्य)/2000 दिनांक-03.06.2019 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
13.	ठेकेदारों के अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन।	---तदैव---



 (इ0 अयाज अहमद)
 मुख्य अभियन्ता स्तर-1(मु0)